THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid down on the table of the House.

**Amendment of Working Journalists Act**

2617. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Working Jounrnalists Act for free and healthy press; and

(b) if so, the details thereof?

*THE DEPUTY MINISTER IN THE* MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKISHAN MALAVIYA): (a) Government has always upheld the freedom of the press and has urged that it works in a healthy and responsible manner so as to fulfil its legitimate role in a free and democratic society such as ours. This is a larger issue which need not be linked to a specific piece of legislation like the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955. In any case, there is no proposal before Government to amend this Act.

(b) Does not arise.

**कपास का उत्पादन लक्ष्य**

2618. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष लम्बे तथा छोटे रेशे वाली कपास के उत्पादन का राज्यवार क्या लक्ष्य रखा गया था ; इस कपास से राज्यवार, कितनी आय हुई ;

(ख) किसानों को कपास की मुख्य किस्मों के लिए क्या-क्या दाम हासिल हुए ;

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कपास के लिए कम मूल्य दिये गये; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कपास के आयात और निर्यात के सम्बन्ध में क्या-क्या योजनाएं हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)** : (क) कपास के लम्बे और छोटे रेशे के उत्पादन के राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं ।

(ख) पिछले कपास वर्ष के दौरान किसानों ने भिन्न-भिन्न समय पर चल रहे कपास के मंडी मूल्य प्राप्त किए । यह मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक थे ।

(ग) जी हां । मुख्यत: पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक उत्पादन होने के कारण ही ऐसा हुआ है । लेकिन, अब भी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक हैं ।

(घ) कपास के शुल्क के बिना आयात की अनुमति हैंडलूम क्षेत्र के लिए धागे की अटिटयों की सप्लाई के लिए तथा अग्रिम लाईसेंस के आधार पर सूती धागे, सूती कपड़े और बने बनाए कपड़ों के निर्यात के प्रति दी जाती है ।

जहां तक निर्यात का संबंध है, भारत सरकार ने इस वर्ष बंगाल देशी कपास की एक लाख से अधिक गांठें निर्मुक्त की हैं ।

**Purchase of iodised salt declared unfit for human consumption by NCCF**

2619. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the then Regional Manager (East & West) of NCCF in 1983-84 awarded the contract for procuring